



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम वन, सेक्टर-II, अलिगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024
Email: roc.z.lko-mef@gov.in, goimofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यूपी०/०६/७४/२०२१/एफ०सी०/१३२

दिनांक : 23.03.2021

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Approach/48833/2020

विषय: हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कानपुर द्वारा जनपद-फतेहपुर के अंतर्गत फतेहपुर-जोनिहा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी० स्टोन सं०-14.200 के मध्य बांयी पट्टी पर गाटा सं०-1502, ग्राम-असवार तारापुर, परगना-फतेहपुर, तहसील-फतेहपुर, जिला-फतेहपुर में रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.08047 हे० संरक्षित वन भूमि के विना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं०-पी-03/81-2-2021-800(18)/2021, लखनऊ, दिनांक - 02.03.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयवस्तु प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएँ ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके-

- 1- If the permission for use of forest land for non-forestry purposes has been granted by State authority without prior approval of Central Government then action under section 3A and 3B of Forest Conservation Act, as may be applicable shall be taken against the authority causing diversion. A report with full details of violation shall be submitted by State Government on the recommendation of Forest Department to this office for conducting a formal enquiry in the matter.

भवदीया,

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, फतेहपुर।
4. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
5. चीफ रिजनल मैनेजर, कानपुर रिटेल रिजनल ऑफिस हिन्दुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रायली।

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

कार्यालय: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 2476 / 11-सी-FP/UP/Approach/48833/2020, लखनऊ, दिनांक: मार्च 24, 2021

प्रतिलिपि- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० वृत्त, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, फतेहपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- चीफ रिजनल मैनेजर, कानपुर रिटेल रिजनल ऑफिस हिन्दुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।